उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P.POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या– 3083–अ0प्र0–07/पा0का0लि0/2021–15–अ0प्र0–07/21 दिनांक 12/10/2021

सूचना

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में विद्युत सेवा आयोग के विज्ञापन सं0–02/विसेआ/2020/A.O. के अन्तर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से लेखाधिकारी के पदों पर चयनित किए गए निम्नांकित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके नियुक्ति पत्र सेवा शर्तों सहित स्पीड पोस्ट से प्रेषित किये गये हैं। प्रेषित किये गये सेवा शर्तों एवं वांछित प्रपत्रों को कारपोरेशन की वेबसाइट पर इस आशय से अपलोड किया जाता है कि सम्बन्धित **चयनित अभ्यर्थी तदनुसार सम्पूर्ण प्रपत्रों को तैयार कर दिनांक 02.11.2021 (सुबह 10:00 बजे) को 15 वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ में उपस्थित होना सुनिश्चित करें:–**

120201700133	140301700044	150401700018	150401700070
170601700008	180701700001	180801700135	181001700094
222001700003	222001700071	222001700216	222001700483
222001700567	222001700633	222001700703	222001700717
232301700004	232301700016	232301700019	xxxxxxxx

कार्यभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों/घोषणा–पत्रों (प्रारूप संलग्न) को प्रस्तुत करना अनिवार्य है :–

(1) **प्रमाण–पत्र**

1. पहचान पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र की मूल एवं सत्यापित प्रति।
2. अन्तिम कॉलेज अथवा विश्वविद्यालय के प्राचार्य अथवा अधिष्ठाता से प्राप्त अच्छे चाल चलन एवं चरित्र का प्रमाण पत्र (मूलरूप में)।
3. दो उत्तरदायी व्यक्तियों (राजपत्रित अधिकारी, जो आपके सम्बन्धी न हों) से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र, जो आपसे भली भांति परिचित हों (मूलरूप में)।
4. शैक्षिक योग्यताओं के सत्यापन हेतु प्रमाण पत्रों की मूल एवं प्रमाणित प्रतिलिपियाँ ।
5. वर्तमान सेवायोजक से प्राप्त "कार्यमुक्ति पत्र", यदि आप शासकीय/अर्धशासकीय विभाग अथवा सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत हैं अथवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। "कार्यमुक्ति पत्र" के अभाव में आपको किसी भी दशा में कार्य भार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
6. सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रदत्त "जाति प्रमाण पत्र" (अनु0 जा0/अनु0 जन जा0 श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये "परिशिष्ट–छ" व अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये "परिशिष्ट–ज") (मूलरूप में)।
7. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाना वाला सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र" (मूलरूप में)।
8. मण्डलीय चिकित्सा परिषद से प्राप्त स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण पत्र (मूलरूप में)।

(2) **घोषणा पत्र**

1. **परिशिष्ट 'क'** में निर्धारित प्रपत्र पर आप तथा आप पर आश्रितों द्वारा धारित समस्त चल–अचल सम्पत्ति (आप अथवा आप पर आश्रित सदस्यों के स्वामित्व अथवा अधिगृहीत सम्पत्ति को सम्मिलित करते हुए) का पूर्ण एवं सही विवरण दिया जाय।
2. **परिशिष्ट 'ख'** में निर्धारित प्रपत्र पर पावर कारपोरेशन लि0 के प्रति निष्ठा एवं विश्वसनीयता से सम्बन्धित घोषणा पत्र।
3. **परिशिष्ट 'ग'** में निर्धारित प्रपत्र पर राजनीतिक दलों से असम्बद्धता सम्बन्धी घोषणा पत्र ।
4. **परिशिष्ट 'घ'** में निर्धारित प्रपत्र पर किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था/उपक्रम में कार्यरत होने/न होने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र ।
5. **परिशिष्ट 'य'** में निर्धारित प्रपत्र पर अविवाहित/विवाहित होने/एक से अधिक जीवित पत्नी न होने, पावर कारपोरेशन लि0 में कार्यरत किसी अधिकारी/कर्मचारी का सम्बन्धी होने/न होने तथा ऋणमुक्त/ऋणग्रस्त होने के सम्बन्ध में घोषणा।
6. **परिशिष्ट 'झ'** में निर्धारित साक्ष्यांकन प्रपत्र (चरित्र एवं पूर्ववृत्त) (चार प्रतियों में)।

(3) **बन्ध पत्र**

कुल 03 वर्ष अथवा बढी अवधि (प्रशिक्षण एवं परिवीक्षा अवधि) हेतु, रू0 2,00,000/– एवं जी0एस0टी0 (वर्तमान लागू दर 18%) को सम्मिलित करते हुए कुल रू 2,36,000/– की धनराशि का सेवा अनुबन्ध–पत्र का निष्पादन किसी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के सम्मुख किया जाना चाहिए। सेवा अनुबन्ध पत्र आपके द्वारा एवं नियुक्ति पत्र के साथ संलग्न सेवा शर्तो में मद सं0–3 में वर्णित व्यक्ति (प्रतिभू) द्वारा संयुक्त रूप से प्रत्येक पन्ने पर किये गये हस्ताक्षर, मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायालय की मोहर सहित सत्यापित किये जाने चाहिए। निष्पादित सेवा अनुबन्ध पत्र के अभाव में आपको कार्य ग्रहण करने की अनुमति नही दी जायेगी। संलग्न सेवा शर्तो के मद सं0–3 के अनुसार हैसियत प्रमाण पत्र संलग्न न होने की दशा में बन्ध पत्र स्वीकार नही किया जायेगा। बन्ध पत्र के निष्पादन हेतु निर्धारित प्रपत्र निर्देशों सहित परिशिष्ट 'च' के रूप संलग्न है। बन्ध पत्र "नान ट्रान्सफरेबिल" होगा व किसी अन्य संस्था/विभाग में दिये गये बन्ध पत्र के आधार पर उपरोक्त बन्ध पत्र की शर्तो में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(राजेन्द्र कुमार वर्मा)
उप सचिव (07)

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में लेखाधिकारी के पद पर नियुक्ति की सेवा शर्ते।

1 प्रशिक्षण एवं परिवीक्षा अवधि

आपको लेखाधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की प्रशिक्षण अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात अग्रेतर 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाएगा। इसमें 01 माह की अवधि का आधारभूत प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा दिया जाएगा एवं 11 माह की अवधि तक ऑन जॉब प्रशिक्षण पर माना जाएगा। नियुक्ति प्राधिकारी, ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग--अलग मामलों में प्रशिक्षण एवं परिवीक्षा अवधि को बढा सकते हैं। परन्तु आपवादिक स्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढायी जायेगी। यदि प्रशिक्षण अवधि या परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्रधिकारी को यह प्रतीत हो कि आपने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहते हैं तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आपकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

2 परिलब्धियां

परिवीक्षा अवधि के प्रथम वर्ष में आपको सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत वेतन लेवल–10 (रू0 56,100–1,77,500) में न्यूनतम वेतन रू0 56100/–अनुमन्य होगा। न्यूनतम वेतन के अतिरिक्त आपको महंगाई भत्ता एवं कारपोरेशन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत अन्य भत्ते भी देय होंगे।

3 सेवा अनुबन्ध –पत्र

क– इस नियुक्ति हेतु आप एवं आपके प्रतिभू (Surety) जो प्रचुर साधनों से युक्त हो (आपके पिता अथवा निकट संबंधी भी हो सकते हैं) को रू0 100/– मूल्य के नान–जुडिशियनल स्टैम्प पेपर पर कुल 03 वर्ष अथवा बढी अवधि (प्रशिक्षण एवं परिवीक्षा अवधि), का सेवा अनुबन्ध–पत्र निष्पादित करना होगा। लेखाधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से कुल 03 वर्ष अथवा बढी अवधि (प्रशिक्षण एवं परिवीक्षा अवधि), में कारपोरेशन की सेवा छोड़ने की दशा में आप एवं आपके प्रतिभू संयुक्त रूप से अथवा पृथक रूप से रू0 2,00,000 + जी0एस0टी0 (लागू दर से) की धनराशि कारपोरेशन को अदा करेंगे। आपके प्रतिभू के पक्ष में राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार के स्तर से कम न हों, से प्राप्त हैसियत प्रमाण भी आपको निष्पादित बन्ध पत्र के साथ कार्यभार ग्रहण करने के समय अवश्यमेव प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन में प्रदेश के बाहर के नवनियुक्त लेखाधिकारियों का बाण्ड मनी रू0 200000 + जी0एस0टी0 (लागू दर से) की धनराशि हेतु प्रतिभू (Guarantor), उत्तर प्रदेश राज्य में उपलब्ध न होने की स्थिति में, आ रही कठिनाई के निवारण हेतु निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है:–

ख – (1) यदि कोई अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी नहीं है तो वह एक नोटाराइज्ड एफीडेविट (नोटरी द्वारा प्रदत्त रू0 100/– का शपथ पत्र) इस

आशय से प्रस्तुत कर दे कि उत्तर प्रदेश में प्रतिभू बनाये जा सकने वाला उसका कोई परिचित नहीं है।

(2) यदि किसी अभ्यर्थी का कोई प्रतिभू नहीं बन पा रहा है या हैसियत प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया है तो वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से रू0 200000/-(दो लाख रूपये) एवं जी0एस0टी0 (लागू दर से) (वर्तमान में 18%) को सम्मिलत करते हुए कुल रूपये 2,36,000 की सावधि जमा पत्र (Fixed Deposit) **उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पक्ष में** बनवाकर कुल 04 (चार) वर्षों की सेवा अवधि के लिए कारपोरेशन में बन्धक रखनी होगी, के बाद अभ्यर्थी के हैसियत प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

4 <u>कार्य ग्रहण करने सम्बन्धी अन्य सामान्य निर्देश</u>

1. लेखाधिकारी पद पर नियुक्त होने पर कारपोरेशन द्वारा समय-समय पर इस चयन में चयनित अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित सेवा नियम, आदेश एवं विनियम आप पर लागू होंगें।

2. लेखाधिकारी के रूप में कार्यग्रहण करने हेतु आपको कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

3. आप राज्य में कहीं भी, जैसा कि सक्षम अधिकारी द्वारा समय-समय पर उपयुर्क्त समझा जाये एवं तय किया जाये, तैनात/स्थानान्तरित किये जा सकते हैं।

4. आपके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के असन्तोषजनक पाये जाने की दशा में आपकी नियुक्ति, ऑन जाब प्रशिक्षण की अवधि में अथवा उसके पश्चात् किसी भी समय बिना कारण बताये हुये अथवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

बन्ध पत्र निष्पादन किये जाने हेतु निर्देश

प्रतिभूति बन्धः–

1. बन्ध पत्र रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर टंकित किया जाना चाहिए यदि रू0 100/– के स्टाप्प पेपर 1 पन्ने (शीट) में उपलब्ध न हो तो, ऐसी दशा में 2 या 3 (शीट्स) जो कम मूल्य के हो परन्तु उनके मूल्य का कुल योग रू0 100/–हो, प्रयोग में लाये जा सकते हैं।
2. अभ्यर्थी और प्रतिभू दोनों को कोरे पन्ने (शीट्स) सहित, यदि कोई हो, बन्ध पत्र के प्रत्येक पृष्ठ (पेज) पर हस्ताक्षर करना चाहिए ।
3. बन्ध पत्र पर किसी प्रकार की कांट–छांट, परिवर्तन अथवा पुर्नलेखन इत्यादि होने पर, प्रत्येक ऐसे स्थान पर अभ्यर्थी एवं प्रतिभू को संक्षिप्त हस्ताक्षर करने चाहिए।
4. प्रतिभू एवं साक्षियों का पूरा नाम, पता व पद नाम का उल्लेख, उनके हस्ताक्षरों के नीचे करना चाहिए।
5. वह दिनांक, जब बन्ध पत्र मजिस्ट्रेट के सम्मुख मूलतः निष्पादित किया गया था, नहीं बदला जाना चाहिए। निष्पादन के पश्चात् बन्ध पत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो दूसरे बन्ध पत्र का निष्पादन आवश्यक होगा और इस पर आने वाला व्यय अभ्यर्थी को ही स्वयं वहन करना होगा।
6. बन्ध पत्र का निष्पादन किसी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के सम्मुख किया जाना चाहिए तथा अभ्यर्थी एवं प्रतिभू द्वारा प्रत्येक पन्ने पर किये गये हस्ताक्षर मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायालय की मोहर सहित सत्यापित किये जाने चाहिए।
7. अभ्यर्थी और प्रतिभू द्वारा हस्ताक्षर करने की तिथि तथा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित करने की तिथि एक ही होनी चाहिए।
8. प्रतिभू उ0प्र0 का मूल निवासी होना चाहिए तथा उसे कम से कम रू0 200000/–(दो लाख रूपये) एवं जी0एस0टी0 (लागू दर से) (वर्तमान में 18%) के ऋण चुकाने में समर्थ होना चाहिए तथा इसके प्रमाण हेतु बन्ध पत्र के साथ किसी राजस्व अधिकारी से प्राप्त "ऋण शोधन क्षमता प्रमाण–पत्र " जो तहसीलदार के स्तर के अधिकारी से निम्न का न हो, संलग्न किया जाना चाहिए।
9. यदि प्रतिभू उत्तर प्रदेश में निवासित नहीं है तो वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से रू0 200000/–(दो लाख रूपये) एवं जी0एस0टी0 (लागू दर से) (वर्तमान में 18%) मात्र की सावधि जमा पत्र (Fixed Deposit) उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पक्ष में कुल 04 (चार) वर्षो की सेवा अवधि के लिए जमा करने के बाद अभ्यर्थी को हैसियत प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

परिशिष्ट "क"

चल/अचल सम्पत्ति सम्बन्धी घोषणा पत्र

(क) उनके लिए जिनके पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है।

मैं एतद्द्वारा घोषण करता/करती हूँ कि मेरे पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है। यदि मैं एतद् पश्चात् कोई अचल सम्पत्ति धारण करता/करती हूँ तो अपनी तत्सम्बन्धित अवधि की घोषणा में करूंगा/करूंगी।

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

पद ....

दिनांक ....

(क) उनके लिए जिनके पास अचल सम्पत्ति है।

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं निम्न प्रकार की अचल सम्पत्ति का स्वामी/की स्वामिनी हूँ।

भूमि सम्पदा

सम्पत्ति जहाँ है।			क्षेत्र एकड़ में	अर्जित या पैतृक यदि अर्जित की गई है तो उसके अर्जन का दिनांक	वार्षिक राजस्व	अनुमानित मूल्य	टिप्पणी
जनपद	तहसील	ग्राम					
1	2	3	4	5	6	7	8

गृह सम्पदा

गृह जहाँ स्थित है।			गृह संख्या	अर्जित या पैतृक यदि अर्जित की गई है तो उनके अर्जन का दिनांक	क्या स्वयं रहने के लिए प्रयोग कर रहे हैं या किराये पर दिया है ?	वार्षिक किराया	अनुमानित मूल्य	टिप्पणी
क्र० सं०	ग्राम नगर उप नगर	जनपद						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

यदि मैं भविष्य में कोई अन्य अचल सम्पत्ति अर्जित करता/करती हूँ तो इस तथ्य को उपर्युक्त प्रपत्र में सम्पत्ति अर्जित के दिनांक को जानकारी पाने के दिनांक से एक मास के भीतर घोषित कर दूंगा/दूंगी।

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

पद ....

दिनांक ....

<u>टिप्पणी</u>:–अचल सम्पत्ति में ऐसा भवन व भूमि सम्पदा जो बंधक व पट्टे के रूप में अधिकारी/कर्मचारी या उसकी पत्नी/उसके पति या उसकी ओर से उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य जो उसके साथ संयुक्त हो या साथ रहता हो या किसी प्रकार उस पर आश्रित हो, द्वारा धारित या प्रतिबन्धित हो तो इस घोषणा के प्रयोजनार्थ अधिकारी द्वारा ही धारित या प्रबन्धित की गई समझी जाएगी।

(ग) उनके लिए जिनके पास कोई हिस्से (Shares) या जमा पूंजी (Investment) नहीं है।

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं किसी हिस्से (Shares) या जमा पूंजी (Investment) का स्वामी/की स्वामिनी नहीं है। यदि एतद्पश्चात् मैं कोई हिस्से अर्जित करूंगा/करूंगी या जमा पूंजी लगाऊंगा/लगाऊंगी तो मैं इस तथ्य की घोषणा सम्बन्धित अवधि की घोषणा में कर दूंगा/दूंगी।

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

पद ....

दिनांक ....

(घ) उनके लिए जो हिस्से (Shares) के स्वामी/स्वामिनी है या किसी अन्य जमा पूंजी (Investment) है।

मैं एतद्द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैं निम्नलिखित हिस्से व जमा पूंजी रखता/रखती हूँ :–

हिस्से (Shares)

क्र० सं०	विवरण	अर्जित करने का दिनांक	प्रत्येक हिस्से का मूल्य	धारित हिस्सों की संख्या	हिस्सों का मूल्य	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7

जमा पूंजी (Investment)

क्र०सं०	विवरण	पूंजी लगाने की तिथि	मूल्य	टिप्पणी
1	2	3	4	5

यदि मैं आगे और हिस्से अर्जित करूंगा/करूंगी या अन्य कही पूंजी लगाऊंगा/लगाऊंगी तो मैं इस तथ्य की घोषणा सम्बन्धित घोषणा में कर दूंगा/दूंगी।

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

पद ....

दिनांक ....

चल सम्पत्ति

(घ) केवल उनके लिए जिनके पास कोई चल सम्पत्ति नहीं है ।

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पास कोई चल सम्पत्ति नहीं है । यदि मैं एतद्पश्चात कोइ चल सम्पत्ति धारण करता/करती हूँ तो अपनी तत्सम्बन्धित अवधि की घोषणा में घोषित करूंगा/करूंगी ।

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

पद ....

दिनांक ....

(छ) उनके लिए जिनके पास चल सम्पत्ति है ।

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं निम्न प्रकार की चल सम्पत्ति का स्वामी/की स्वामिनी हूँ ।

क्रम संख्या	सम्पत्ति का विवरण	क्रय धारण करने की तिथि	मूल्य	क्या क्रय/धारण करने हेतु पूर्व अनुज्ञा प्राप्त की गई थी ? यदि हाँ तो उस अनुज्ञा की संख्या तथा दिनांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6

चल सम्पत्ति का तात्पर्य ऐसी प्रत्येक चल सम्पत्ति से है जिसका मूल्य कर्मचारी के एक माह का वेतन या उससे से अधिक है ।

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

पद ....

दिनांक ....

परिशिष्ट "ख"

निष्ठा की शपथ

मैं एतद्द्वारा निष्ठापूर्वक घोषित करता/करती हूँ कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अधीन अपनी सेवा अवधि में मैं कारपोरेशन की सेवा में अपने को सदैव निष्ठा व श्रद्धापूर्वक लगाए रखूंगा तथा उसके कार्य–कलापों की पूर्ण रूप से गोपनीयता बनाये रखूंगा/रखूंगी और अपने कर्तव्य पालन के दौरान या अन्य रूप में जानकारी में आयी किसी भी सूचना के प्रकट नहीं करूंगा/करूंगी।

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

पद ....

दिनांक ....

परिशिष्ट "ग"

घोषणा

मैं ....पुत्र/पुत्री श्री ....निवासी (पूरा पता) ....एतदद्वारा घोषित करता हूँ कि :–

(क) मैं न तो किसी ऐसे राजनीतिक दल/संस्था का सदस्य हूँ जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्धित हो,

(ख) और ना ही किसी ऐसे राजनीतिक दल अथवा संस्था से सहानुभूति अथवा सम्बन्ध रखता हूँ जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्धित हों,

(ग) और ना ही भविष्य में उनसे कोई सम्बन्ध/मेल जोल अथवा सहानुभूति रखूंगा।

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

पद ....

दिनांक ....

परिशिष्ट "घ"

(अभ्यर्थी द्वारा किसी भी शासकीय/अर्ध शासकीय संस्था/उपक्रम में कार्यरत न होने की दशा में)

मैं एतदद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैं किसी भी शासकीय/अर्ध शासकीय संस्था/उपक्रम में किसी भी रूप में कार्यरत नहीं हूँ। इस सूचना के मिथ्या पाये जाने पर मेरी सेवायें तत्काल समाप्त की जा सकती हैं।

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

पद ....

दिनांक ....

(अभ्यर्थी द्वारा किसी भी शासकीय/अर्ध शासकीय संस्था/उपक्रम में कार्यरत होने की दशा में)

मैं एतदद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैं ....
के विभाग में सेवारत था। मैं अपने पूर्व नियोजक द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अधीन लेखाधिकारी के रूप में सेवा आरम्भ करने हेतु कार्यमुक्त कर दिया गया हूँ। कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र एतदद्वारा संलग्न है।

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

पद ....

दिनांक ....

(अभ्यर्थी द्वारा रू0 100/--के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित होना है)

बन्ध पत्र

इस अभिलेख द्वारा सब लोगों को विदित हो कि श्री/सुश्री ''''''''''''''''''''''''''''''''पुत्र/पुत्री श्री '' अस्थायी लेखाधिकारी जो उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, के नियुक्ति पत्र सं0 '''''''''''''''''''''''''''''''' दिनांक '''''''''''' में वर्णित शर्तो के अधीन सेवा कर रहे हैं । (एतद्पश्चात "लेखाधिकारी" कहलायेंगे) एवं श्री '''''''''''''''''''''''''''''' पुत्र/पुत्री श्री '''''''''''''''''''''''''' निवासी '''''''''''''''''''''''''''''''''' (एतद्पश्चात् "प्रतिभू " कहलायेंगे) एतद्द्वारा आबद्ध होते है कि (जिनमें उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, वैधानिक प्रतिनिधि एवं उत्तरवर्ती संयुक्त एवं व्यक्तिगत रूप से,) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को (एतद् पश्चात् "कारपोरेशन" कहलायेंगे) मांगे जाने पर रू0 200000/--(दो लाख रूपये) एवं जी0एस0टी0 (लागू दर से) (वर्तमान में 18%) मात्र देने के बन्ध पत्रित होंगे ।

दिनांक ''''''''''''मास ''''''''''वर्ष ''''''''''''

हस्ताक्षरित

लेखाधिकारी के हस्ताक्षर

प्रतिभू के हस्ताक्षर

यतः कारपोरेशन ने अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र में वर्णित शर्तो के अनुसार अस्थायी लेखाधिकारी के रूप में नियुक्त किया है ।

एवं यतः कारपोरेशन को यह आश्वस्त करने के आशय से कि लेखाधिकारी स्वयं अपनी ओर से कारपोरेशन की सेवाओं को, नियुक्ति के दिनांक से 01 वर्ष के प्रशिक्षण के दौरान एवं तत्पश्चात 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने (कुल 03 वर्ष) तक नहीं छोड़ेगा। यह बन्ध पत्र निष्पादित करता है, अतः उपरोक्त लिखित बाध्यता की यह शर्त है कि यदि लेखाधिकारी अपने 01 वर्ष के प्रशिक्षण के दौरान एवं तत्पश्चात 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने (कुल 03 वर्ष) से पूर्व कारपोरेशन की सेवाओं को किसी भी समय कारपोरेशन की पूर्व अनुमति लिये बिना छोड़ेगा अथवा त्यागपत्र देगा, तब उस दशा में लेखाधिकारी और/अथवा प्रतिभू कारपोरेशन के मांगे जाने पर अविलम्ब बन्ध-पत्र में वर्णित धनराशि का भुगतान करेंगे तथा उसके .... (लेखाधिकारी) अथवा प्रतिभू द्वारा उपरोक्त धनराशि के मांगे जाने पर भुगतान करने के उपरान्त उपरोक्त बाध्यता प्रभावी नहीं होगी अन्यथा यह पूर्णरूपेण प्रभावी रहेगा।

यह सदा प्रतिबन्ध होगा कि यदि कारपोरेशन, लेखाधिकारी की सेवा समाप्ति उपरोक्त वर्णित नियुक्ति पत्र की शर्तो के अनुसार कर देता है तो यह बन्ध पत्र निष्प्रभावी समझा जायेगा।

साक्षी:

1.

हस्ताक्षरित

लेखाधिकारी

प्रतिभू

परिशिष्ट–छ

उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिये जाति प्रमाण–पत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री .... निवासी/ग्राम ....तहसील..नगर ....जिला ....उत्तर प्रदेश राज्य की .... जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ) /संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति के रूप में मान्यता दी गई है ।

श्री /श्रीमती/कुमारी .... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के .... ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... में सामान्यता रहता है

स्थान:
दिनांक:
मुहर:

हस्ताक्षर..
पूरा नाम ....
पद नाम ....
जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलधिकारी/
सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/
तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट,
यदि कोई हो, जिला समाज कल्याण
अधिकारी

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण–पत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुंमारी .... सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री .... निवासी/ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... उत्तर प्रदेश राज्य की पिछड़ी जाति के व्यक्ति है । यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियॉ, अनुसूचित जन–जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण (अधिनियम–1994) की अनुसूची –1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... उक्त अधिनियम–1994 को अनुसूची–2 से आच्छादित नहीं है ।

श्री/श्रीमती/कुमारी .... तथा अथवा परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम .... तहसील .... जिला .... में सामान्यता रहता है ।

स्थानः
दिनांकः
मुहरः

हस्ताक्षर ....
पूरा नाम ....
पद नाम ....
जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/
सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/
तहसीलदार

परिशिष्ट "य"

घोषणा पत्र

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....
.... निवासी .... ग्राम ....
पोस्ट .... तहसील .... जिला ....
.... राज्य .... एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि :–

(क) **(1)** मैं अविवाहित हूँ।

अथवा

(1) मैं विवाहित हूँ तथा मेरी/मेरे एक से अधिक जीवित पत्नी/पति नहीं है। मेरी पत्नी/मेरे पति का नाम .... पुत्री/पुत्री श्री ....
ग्राम .... जिला .... राज्य .... है।

(2) मेरा अपनी पत्नी/मेरा अपने पति से तलाक नहीं हुआ है और न ही तलाक/सम्बन्ध–विच्छेद सम्बन्धी कोई कार्यवाही प्रक्रिया में है।

(3) यदि तलाक हुआ है तो उसका पूर्ण विवरण संलग्न करें।

(ख) कारपोरेशन में कार्यरत किसी भी अधिकारी/कार्मिक से मेरा किसी तरह का कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि हैं तो पूर्ण विवरण दें।

सम्बन्धी अधिकारी/कार्मिक से सम्बन्ध एवं उनका नाम ....

पदनाम/पता

....

(ग) मैं किसी सरकारी संस्था/बैंक/संस्थान अथवा अन्य से पूर्ण रूप से ऋण मुक्त हूँ यदि है तो पूर्ण विवरण दें ....
....

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

पद ....

दिनांक ....

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P.POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ-226001

फोन नं0 0522-2216421/0522-2216411

परिशिष्ट -'म'

(कुल 4 सेट में पूर्ण भरा जायेगा)

साक्ष्यांकन प्रपत्र

चेतावनी

(1) इस प्रपत्र में कोई गलत सूचना देना या किसी वास्तविक सूचना को छिपाना किसी भी अभ्यर्थी को अनर्ह व उसे सेवायोजन दिए जाने के लिए अयोग्य कर सकता है।

(2) इस प्रपत्र को भरकर देने के उपरान्त यदि अभ्यर्थी कभी हवालात में रखा गया हो, सजा दी गई हो या विर्वजित किया गया हो तो उसका विवरण उसे तुरन्त देना चाहिए और इसका उल्लेख न करने की दशा में, इसे वास्तविक सूचना को छिपाना माना जाएगा।

फोटो

1 अनुक्रमांक:..

2 (क) पूरा नाम (हिन्दी में)................................ उपनाम (यदि कोई हो)...........................

(ख) पूरा नाम (अंग्रेजी के Capital letter में)..

(ग) श्रेणी (UR/EWS/OBC/SC/ST)..

3 पिता का पूरा नाम.. उपनाम (यदि कोई हो)...........................

व्यवसाय.. वार्षिक आय..

माता का पूरा नाम.. उपनाम (यदि कोई हो)...........................

पत्नी/पति का पूरा नाम.. उपनाम (यदि कोई हो)...........................

4 (क) लिंग(पु0/स्त्री)................................ (ख) विवाहित/अविवाहित...........................

5 (क) जाति .... (ख) उपजाति...........................

6 (क) पिता की राष्ट्रीयता................................ (ख) माता की राष्ट्रीयता...........................

(ग) पत्नी की राष्ट्रीयता................................ (घ) पति की राष्ट्रीयता...........................

7 जन्म स्थान (स्वयं का)..

पति/पत्नी का (यदि विवाहित हो) जन्म स्थान..

8 (अ) गृह जनपद का नाम, जहाँ का रहने वाला/वाली हो...

(ब) स्थाई निवास का पूरा पता :

	हिन्दी में	अंग्रेजी में (Capital Letter में)
मकान/गृह संख्या :		
गली/मोहल्ला :		
नगर/ग्राम :		
तहसील :		
डाकघर :		
जिला/राज्य :		
पिन कोड :		
थाना :		
जिला प्रमुख का पदनाम/पता :		
जिला पुलिस प्रमुख का पदनाम/पता :		

9 निवास प्रमाण पत्र निर्गमन के जिले/राज्य का नाम : ....पिन कोड...................

10 जाति प्रमाण पत्र निर्गमन के जिले/राज्य का नाम : ....पिन कोड....................

यदि मूल रूप में पाकिस्तान का निवासी हो तो उस देश के उसके सभी पते व भारत में आव्रजन की उसकी तिथि भी वार्णित की जानी चाहिए।

....

11 टेलीफोन/मोबाइल नं0 : ....
(परिवर्तन होने की दशा में सूचित करें)

12 ई0मेल आई0डी0 : ....
(परिवर्तन होने की दशा में सूचित करें)

13 पत्राचार का पूरा पता (यदि स्थाई पता पत्राचार का पता है तो इंगित करें): ....

....

....

14 पिछले पाँच वर्षो में पते :

क्र0सं0	दिनांक में	दिनांक तक	पता
1			
2			
3			
4			
5			

15 **(क)** जन्म तिथि (शब्दो/अंको में) यदि अभ्यर्थी हाईस्कूल/समकक्ष पास है तो प्रमाण–पत्र अनुसार उसका उल्लेख करे :

....

....

(ख) आयु : (दिनांक 01 जुलाई, 2021 को)..

16 शैक्षिक अर्हतायें अभ्यर्थी ने हाईस्कूल/समकक्ष से जिन स्कूल या कालेजों में शिक्षा पाई हो उनका उल्लेख उत्तीर्ण होने के वर्ष सहित करें।

स्कूल/कालेज/ विश्वविद्यालय का नाम व पूरा पता	शिक्षा बोर्ड/ विश्वविद्यालय का नाम	परीक्षा जो उत्तीर्ण की	उत्तीर्ण करने का वर्ष

17 उस कार्यालय या फर्म का पूरा पता विवरण* व पता जहाँ अभ्यर्थी पहले कार्य कर चुका हो या कार्य कर रहा हो

पद का नाम व कार्य का विवरण	प्रवेश की तिथि		कार्यालय फर्म या संस्था का पूरा पता	पिछली सेवा को छोड़ने का कारण
	दिनांक से	दिनांक तक		

* यदि उपरोक्त विवरण के लिये अधिक स्थान की आवश्यकता हो तो पृथक शीट संलग्न करें–

18 मोहल्ले के दो प्रतिष्ठित (जो सम्बन्धी न हो) व्यक्तियों के नाम व पते जिन्हें अभ्यर्थी के बारे में जानकारी हो :–

(1) नाम .... व्यवसाय ....

पता ....

(1) नाम .... व्यवसाय ....

पता ....

19 (क) क्या आपको कभी गिरफ्तार, सजा, हवालात, परिबन्धित, अर्थदण्ड दिया गया है या किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए दण्डित किया गया है या किसी लोक सेवा आयोग द्वारा किसी परीक्षा/चयन में भाग लेने से विवर्जित/अनर्ह किया गया है या किसी शैक्षिक अधिकारी/संस्था द्वारा किसी परीक्षा में बैठने से विवर्जित या रेस्टीकेट किया गया हो।

(ख) क्या इस साक्ष्यांकन प्रपत्र को भरते समय आपके विरूद्ध किसी न्यायालय, विश्वविद्यालय या किसी शैक्षिक अधिकारी/संस्था के अधीन कोई मामला विचाराधीन है।

<u>टिप्पणी</u> :-

(1) यदि उपरोक्त (क) या (ख) का उत्तर हाँ है तो इस प्रपत्र को भरते समय ऐसे मामले का पूरा विवरण गिरफ्तारी, हवालात, अर्थदण्ड, सजा इत्यादि व किसी भी न्यायालय, विश्वविद्यालय/शैक्षिक अधिकारी के अधीन लम्बित मामले इत्यादि का पूरा विवरण दें।

(2) इस प्रपत्र के आरम्भ में दी गई चेतावनी को भी देखें।

अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाने वाला प्रमाण-पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सभी सूचनाएं मेरी पूरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है। मुझे किन्ही भी परिस्थितियों का ज्ञान नहीं है जो कारपोरेशन के अधीन मेरे सेवायोजन में बाधक सिद्ध हो सकती है।

दिनांक :

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

स्थान :

नाम (पूरा)..

....

(एफ0डी0 हेतु शपथ पत्र का प्रारूप)

शपथ पत्र (रू0 100/-)

1. विद्युत सेवा आयोग के विज्ञापन सं0-02-विसेआ/2020/एओ द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में लेखाधिकारी के पद पर मेरा, (नाम..................)(अनुक्रमांक..............................) पुत्र/पुत्री श्री..................................चयन हुआ है।

2. मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ/नहीं हूँ। मेरा गृह जनपद........................एंव प्रदेश.......................... है।

3. लेखाधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु मेरा उत्तर प्रदेश राज्य में प्रतिभू/हैसियत प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है।

4. कार्यभार ग्रहण करने हेतु बॉण्ड मनी की धनराशि रूपया 2,00,000/- एवं लागू जी0एस0डी0 की दर (18%) से कुल रूपया 2,36,000/- का सावधि जमा पत्र (एफ0डी0) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन में बन्धक के रूप में, कुल चार वर्षो के लिए जमा कर रहा हूँ।

5. यह एफ0डी0 मैनें (बैंक का नाम......................................), शाखा..............................जिला.................... दिनांक.......................को एफ0डी0 सं0..बचत खाता सं0.......................... से निर्गत करायी है।

चेक लिस्ट

लेखाधिकारी का नाम (हिन्दी में) –
पिता का नाम–
अनुक्रमांक –
गृह जनपद– श्रेणी–

निम्नांकित प्रमाण–पत्र, घोषणा पत्र एवं बन्ध पत्र का परीक्षण किया गया:–

a.	पहचान एवं पते का प्रमाणपत्र–यथा आधार/मतपत्र/पेन कार्ड/ पासपोर्ट अथवा अन्य समकक्ष	....
b.	अन्तिम कालेज/विश्वविद्यालय के प्रधान अधिकारी से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र (मूल रूप में जमा होगा)	....
c.	दो राजपत्रित अधिकारी से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र (मूल रूप में जमा होगा)	....
d.	मूल शैक्षिक प्रमाण पत्रों की जांच एवं प्रमाणित प्रतिलिपियों की प्रति	....
e.	पूर्व सेवायोजक से कार्य मुक्ति प्रमाण पत्र (मूल रूप में जमा होगा)	....
f.	मण्डलीय चिकित्सा परिषद का स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण पत्र (मूल रूप में जमा होगा)	....
g.	जाति प्रमाण पत्र **(मूल रूप में जमा होगा)**	....
h.	निवास प्रमाण पत्र **(मूल रूप में जमा होगा)**	....
i.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सम्बन्धी प्रमाण पत्र (यथा लागू)	....
j.	दिव्यांग/डी0 एफ0 एफ0 सम्बन्धी प्रमाणपत्र (यथा लागू)	....
2	**घोषणा पत्र**	
a.	चल/अचल सम्पत्ति विवरण परिशिष्ट "क" प्रपत्र पर	....
b.	कारपोरेशन के प्रति निष्ठा एवं विश्वसनीयता सम्बन्धी घोषणा परिशिष्ट "ख" प्रपत्र पर	....
c.	राजनैतिक दलों से असम्बद्धता सम्बन्धी घोषणा पत्र परिशिष्ट "ग" प्रपत्र पर	....
d.	शासकीय/अर्धशासकीय संस्थान/उपक्रम में सेवारत न होने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र परिशिष्ट "घ" प्रपत्र पर	....
e.	साक्ष्यांकन प्रपत्र 4 प्रतियों में परिशिष्ट "झ" प्रपत्र पर	....
f.	एक से अधिक पत्नी जीवित न होने सम्बन्धी, कारपोरेशन में कार्यरत किसी व्यक्ति का आपके सम्बन्धी होने के सम्बन्ध में एवं आपके ऋण मुक्त होने सम्बन्धी अथवा अन्यथा के सम्बन्ध में घोषणा पत्र परिशिष्ट " य" पर	....

3 बन्ध पत्र

निष्पादित सेवा बन्ध पत्र ....
प्रतिभू हैसियत प्रमाण पत्र अथवा एफ0डी0 का विवरण/सम्बन्धित शपथ पत्र ....

हस्ताक्षर (दिनांक सहित)– ....

मेरे द्वारा चेक किया गया
(जाँचकर्ता के हस्ताक्षर)

लेखाधिकारी का पूरा नाम– ....
मोबाईल नं0– ....
मेल आई0डी0– ....
पता (पिन कोड सहित)– ....

नोट:–सभी प्रपत्र व वांछित प्रमाण पत्र उपरोक्त क्रम में संकलित करते हुए चेक लिस्ट के साथ कार्यभार ग्रहण करने के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।